8.4.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की
फौत होने ~~नामक~~ वारिशान की नामकायमी हेतु
दिनांक 13.12.2022 से छः से ज्यादा ~~नामकायमी~~
अवसर दिए बावजूद इसके नामकायमी की
कार्यवाही नहीं की गई है। नाहीं आज न्यायालय
समय समाप्ति तक नामकायमी हेतु प्रार्थना प्रस्तुत
किया है। जिससे जाहिर है कि वादी ~~का~~ अपने वाद
के प्रति गंभीर नहीं वाद चलाना चाहते हैं। प्रतिवादी
~~अतः वादी का वाद अदम पैरवी~~
संख्या 1 व 2 की फौतगी सूचना 13.9.22 को प्राप्त हो चुकी थी
जिसको एक वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है तथा वादी द्वारा
नामकायमी कार्यवाही नहीं करने से वादी का वाद प्रतिवादीगण 1,2
के विरुद्ध आदेश 22 नियम 4(3) के तहत उपशमन हो जाने
से अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः वादी का वाद O22 R4(3) के तहत उपशमन हो
जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले
इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:52:02 IST
Reason: SelfAttested

(रिया डाबी)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर